

विष्णु लाल कालू मृतक जिनके पति का नाम ... नम्बर व तारीख  
 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मु. नं. 154/2022

10/6/24

वादी व वादी अधि. न उपस्थित होकर प्रकरण को रालीनामा ले जाने के  
 नोट प्रेस डिपें-माने का निवेदन किया। वादी/वादी अधि. के निवेदन पर  
 पत्रावली तालक की गई। वादी के निवेदन कि डिपेंडको के लीन  
 आपकी सहमति से रालीनामा के आधार पर प्रकरण को नोट प्रेस  
 करना चाहते हैं। वादी के निवेदन पर प्रकरण को नोट प्रेस करने की  
 अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फलान मुआद होकर नंबर के  
 कम है।

जज  
 सहायक कलक्टर (मु.), जजमेर

अहकाम जो इस  
 हुकम की तामिल  
 में जारी हुए

विष्णु  
 लाल  
 गदंतिल  
 by me  
 अमर सिंह  
 एडवोकेट